



भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो

प्रलिस के लयः

भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI), केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI), दललल वशलष पुलसल सथापना अधनलय, 1946, प्रवर्तन नदशलालय, केंद्रीय सतरकता आयोग एवं लोकपाल ।

मेन्स के लयः

CBI से संबद्ध चुनौतयलँ, कानून प्रवर्तन में सुधार, पुलसल सुधार ।

चर्चा में कयँ?

हाल ही में [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#) एन.वी. रमना ने कहा कल केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) गंभीर सार्वजनकल जाँच के दायरे में आ गया है । इसके कारयँ एवं नषलकरयलता ने इसकी वशलवसनीयता पर प्रश्नचहलन लगा दयल है ।

- कानून प्रवर्तन एजेंसयलँ में सुधार के प्रयास के रूप में मुख्य न्यायाधीश ने एक अमबरेला, स्वतंत्र एवं स्वायत्त जाँच एजेंसी का प्रस्ताव रखा है ।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI):

- केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) की सथापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी ।
 - अब CBI कार्मकल, लोक शकलयत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मकल एवं प्रशकषण वभलग (DoPT) के प्रशासनकल नयलंत्रण में आती है ।
- CBI को दललली वशलष पुलसल सथापना अधनलय, 1946 से जाँच संबंधी शकलता प्राप्त होती है ।
- भ्रषटाचार की रोकथाम पर संथानम समतल (1962-1964) द्वारा CBI की सथापना की सफलरशल की गई थी ।
- CBI केंद्र सरकार की प्रमुख जाँच एजेंसी है ।
 - यह [केंद्रीय सतरकता आयोग](#) एवं [लोकपाल](#) को भी सहायता प्रदान करती है ।
 - यह भारत में नोडल पुलसल एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशँ की ओर से जाँच का समन्वय करती है ।

CBI से संबद्ध चुनौतयलँ:

- राजनीतकल हसतकषेप:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने CBI के कारयकलापँ में अत्यधिक राजनीतकल हसतकषेप कयल जाने के कारण इसकी आलोचना की थी और इसे "अपने स्वामी की आवाज़ में बोलने वाला पजलराबंद तोता" कहा था ।
 - इसका दुरुपयोग प्रायः नवलरतमान सरकार द्वारा अपने गलत कारयँ को छुपाने, गठबंधन के सहयोगयलँ पर दबाव बनाने और राजनीतकल वशलधयलँ के उत्पीड़न के लयल कयल जाता रहा है ।
- अतवयलपी एजेंसयलँ: मौजूदा समय में एक ही घटना की कई एजेंसयलँ द्वारा जाँच की जाती है, जससे अकसर सबूत कमज़ोर पड़ जाते हैं, बयानँ में वशलधाभास होता है और बेगुनाहँ को लंबे समय तक जेल में रखा जाता है ।**
- कर्मयलँ की भारी कमी:** इसका एक मुख्य कारण सीबीआई के कारयबल का सरकार द्वारा कुप्रबंधन है, जो अकषम और बेवजह पकषपाती भरती नीतयलँ के माध्यम से होता है, जसका इस्तेमाल इच्छतल अधिकारयलँ को लाने के लयल कयल जाता है, जो कल संगठन की कारय कषमता को प्रभावतल करता है ।
- सीमतल शकलतयलँ:** जाँच हेतु [CBI के सदसयलँ की शकलतयलँ](#) और अधिकार कषेत्र राज्य सरकार की सहमतल के अधीन हैं, इस प्रकार **CBI द्वारा जाँच की सीमा को सीमतल** कयल जाता है ।
- प्रतबलधतल पहुँच:** केंद्र सरकार के संयुक्त सचवल और उससे उच्च स्तर के कर्मचारयलँ पर जाँच या जाँच करने के लयल केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृतल नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रषटाचार का मुकाबला करने में एक बड़ी बाधा है ।

कानून प्रवर्तन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?

- **स्वतंत्र अंबरेला इंस्टीट्यूशन का निर्माण:** CJI ने CBI, [प्रवर्तन नदिशालय](#) और गंभीर [धोखाधड़ी जाँच कार्यालय](#) जैसी वभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने का प्रस्ताव रखा है।
 - उसके संगठन का नेतृत्व किसी एक समिति द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और नष्पक्ष प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिये, जिसके द्वारा [CBI नदिशक को नियुक्त](#) किया जाना चाहिये।
 - CJI ने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चिती करने के लिये अभियोजन और जाँच हेतु अलग एवं स्वायत्त वगि रखना एक अतिरिक्त अंतरनिहिती सुरक्षा है।
 - नियुक्ति समिति द्वारा संस्थान के प्रदर्शन की वार्षिक लेखा परीक्षा के लिये प्रस्तावति कानून में एक उचित जाँच और संतुलन का प्रावधान होगा।
- **राज्यों और केंद्र के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध:** राज्य सूची के तहत पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था एवं जाँच का बोझ मुख्य रूप से राज्य पुलिस पर है।
 - जाँच के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये राज्य **एजेंसियों को मज़बूत** किया जाना चाहिये।
 - **अम्बरेला जाँच नकियाय** हेतु प्रस्तावति केंद्रीय कानून को राज्यों द्वारा उपयुक्त रूप से दोहराया जा सकता है।
- **लैंगिक समानता लाना:** आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।
- सामाजिक वैधता समय की मांग है ताकि सामाजिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास को पुनः प्राप्त किया जा सके एवं इसे हासलि करने के लिये पहला कदम राजनीतिक कार्यपालिका के साथ गठजोड़ को तोड़ना है।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार:** लंबे समय से लंबति पुलिस सुधारों को लागू करने और लंबति मामलों से निपटने की आवश्यकता है।

सोत: द हद्दि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cji-on-cbi>

